

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA
Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

The State of Jharkhand

V/s

Rbani Ansari & Ors.

Order sheet datedTo.....

Case No- **17/24-25**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1. 12/12/24	2.	3.

आदेश

यह Confiscation Case No- 17/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. रबानी अंसारी 2. सफीक अंसारी में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1059/अप०शा० दिनांक 20.07.2024 एवं लोहरदगा थाना काण्ड सं० 330/23 दिनांक 11.11.2023 के आलोक में धारा 411/34 भा०द०वि० एवं 4/54 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining, Transportation & Storage) Rule 2017 में अग्रतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।

वाहन की विवरणी

क्र०	वाहन के प्रकार (मॉडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता
01.	ब्लु रंग का स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEE	JH08J-9254	MBNAK48ACM TK44854	CJ1354/MH011449	रबानी अंसारी, पे०- नजीब अंसारी, सा०-मुस्लिम टोली, ओयना, थाना एवं जिला-लोहरदगा।
02.	ब्लु रंग का स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEE	JH08J-9864	MBNAK48ACP TF07393	CJ1354/PF005685	सफीक अंसारी, पे०-हैदर अंसारी, सा०-ओयना मुस्लिम टोली, थाना एवं जिला-लोहरदगा।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।

मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु

Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minerals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।